न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 83/2017

1 हेतराम उम्र 53 साल पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी बजावा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 रामेश्वर पुत्र मुकन्दाराम मृतक।
1/1 श्रवणी पत्नी रामेश्वर।
1/2 सुरेश पुत्र रामेश्वर।
1/3 सहीराम पुत्र रामेश्वर।
1/4 पवन पुत्र रामेश्वर समस्त जाति जाट निवासीगण बजावा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
1/5 मनभरी पुत्री रामेश्वर।
1/6 अनिता पुत्री रामेश्वर पत्नी सरदार सिंह समस्त जाति जाट निवासीगण बजावा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू हाल निवासीगण टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 शीशराम पुत्र हरलाल।
3 महीपाल पुत्र हरलाल।
4 छोटी देवी पुत्री हरलाल।
5 फूली देवी पुत्री हरलाल।
6 बिमला पुत्री हरलाल।
7 रामकुमार पुत्र नौरंगलाल।
8 चन्दगीराम पुत्र नौरंगलाल मृतक।
8/1 श्याना देवी पत्नी चन्दगीराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

8/2 श्रीराम पुत्र चन्दगीराम।
8/3 सतवीर पुत्र चन्दगीराम।
9 सुभाष पुत्र बीरबल।
10 प्यारेलाल पुत्र बीरबल मृतक।
11 सरदारा पुत्र कुम्भाराम मृतक।
11/1 जीवणी पत्नी सरदारा।
11/2 विरेन्द्र पुत्र सरदारा।
11/3 विजेन्द्र पुत्र सरदारा।
12 फुलचन्द पुत्र कुम्भाराम।
13 राजेश पुत्र शिशपाल।
14 नागर पुत्र शिशपाल।
15 अर्जुन पुत्र बेगुराम मृतक।
15/1 अमीलाल पुत्र अर्जुन।
15/2 शीशराम पुत्र अर्जुन।
15/3 रणजीत पुत्र अर्जुन।
15/4 जयसिंह पुत्र अर्जुन।
16 रामचन्द्र पुत्र भुदाराम।
17 सावित्री स्त्री चुन्नीलाल।
18 विकाश पुत्री चुन्नीलाल अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 18 समस्त जाति जाट निवासीगण बजावा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
19 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी।

रेस्पोडेंट

रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 व
धारा 151 सीपीसी विरूद्व आदेश दिनांक 25.02.19
अनुवानी मृतक रामेश्वर बनाम हेतराम आदि प्रकरण
संख्या 59/2017 को अपास्त व निरस्त किये जाने हेतु

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री अरविन्द सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोहरलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 25-10-2021

यह पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 59/2017 में पारित निर्णय दिनांम 25.02.2019 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने एक अपील मय धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी दावा उनवानी हेतराम बनाम शीशराम मुकदमा नम्बर 91/2012 पेश की थी। उपरोक्त अपील पेश करने बाद माननीय न्यायालय ने उक्त अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में तलबी जारी की गई, तलबी होने के बाद माननीय न्यायालय ने दिनांक 25.02.2019 को उक्त अपील को स्वीकार करके सुयोग्य विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुये पत्रावली को रिमाण्ड किया है। इससे व्यथित होकर यह रिव्यु आवेदन प्रस्तुत किया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा धारा 5 पर कोई निर्णय पारित किये बिना ही विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मृत व्यक्ति के विरूद्व प्रस्तुत की गई थी। इस बिन्दु पर गौर नही कर इस न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि की गई है। इस अपील में रेस्पोडेंट प्रार्थीगण की तामील सम्यक रूप से नही हुई है। अत रिव्यू आवेदन स्वीकार किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 59/2017 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2019 के विरूद्व वर्तमान प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में अपील टी.ए. 4418/2020 प्रस्तुत की जा चुकी है। इस न्यायालय में रिव्यु आवेदन दिनांक 25.11.2020 को प्रस्तुत किया गया है। इसके उपरान्त वर्तमान प्रार्थीगण द्वारा माननीय मण्डल में प्रस्तुत अपील टी.ए. संख्या 4418/2020 दिनांक 10.03.2021 को पक्षकारो के मध्य राजीनामा अंकन कर विड्रा कर लिया है। विधि अनुसार अपील न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने के उपरान्त पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होता है। अत प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 59/2017 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2019 के विरूद्व वर्तमान प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में अपील टी.ए. 4418/2020 प्रस्तुत की जा चुकी है। इस न्यायालय में रिव्यु आवेदन दिनांक 25.11.2020 को प्रस्तुत किया गया है। इसके उपरान्त वर्तमान प्रार्थीगण द्वारा माननीय मण्डल में प्रस्तुत अपील टी.ए. संख्या 4418/2020 दिनांक 10.03.2021 को पक्षकारो के मध्य राजीनामा अंकन कर विड्रा कर लिया है। विधि अनुसार अपील न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने के उपरान्त पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर रिव्यु आवेदन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर